संख्या-355आ.न.यो./9-8-2016-45आ.न.यो.(बजट)/14

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत-हरिहरपुर,
जनपद-संतकबीरनगर

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ :: दिनांक 06 अप्रैल, 2016

विषयः नगर पंचायत-हरिहरपुर, जनपद-संतकबीरनगर को आदर्श नगर योजनान्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु स्वीकृत की गयी धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-13/2015-16 दिनांक 11 मार्च, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-140/2015/3010आ.न.यो./नौ-8-2014-45आ.न.यो. (बजट)/2014 दिनांक 15.01.2015 द्वारा स्वीकृत कार्य **"कार्यालय कार्य हेतु स्किड लोडर, बैको, स्वीपर, पोल, इरेक्टर ग्रास रिमूवर एवं टारो 25 टिपर आदि की आपूर्ति का कार्य"** निकाय के लिए अनुपयुक्त पाये जाने के कारण इन कार्यो के स्थान पर निम्नवत कार्य कराये जाने का अनुरोध किया गया है :-

धनराशि रूपये लाख में

क0	स्वीकृत कार्य का नाम	लागत	संशोधित कार्य का नाम	लागत
1	कार्यालय कार्य हेतु स्किड लोडर, बैको, स्वीपर, पोल, इरेक्टर ग्रास रिमूवर आदि की आपूर्ति का कार्य।	73.50	वार्ड नम्बर-7 में 32.5 केबीए सोलर पावर प्लान्ट लगाये जाने का कार्य	99.45
2	टारो 25 टिपर	26.48		

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत-हरिहरपुर, जनपद-संतकबीरनगर द्वारा किये गये अनुरोध पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत शासनादेश संख्या-140/2015/3010आ.न.यो./नौ-8-2014-45आ.न.यो. (बजट)/2014 दिनांक 15.01.2015 द्वारा मशीन क्रय किये जाने हेतु स्वीकृत किये गये 02 कार्य निकाय के लिए अनुपयुक्त पाये जाने के कारण इन कार्यो के स्थान पर निम्नवत कार्य कराये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि शासन द्वारा आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सुसंगत वित्तीय नियमों एवं सौर ऊर्जा के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-8/2016/696/नौ-8-2016-124ज/2014 दिनांक 08 मार्च, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

धनराशि रूपये लाख में

क0	स्वीकृत कार्य का नाम	लागत	संशोधित कार्य का नाम	लागत
1	कार्यालय कार्य हेतु स्किड लोडर, बैको, स्वीपर, पोल, इरेक्टर ग्रास रिमूवर आदि की आपूर्ति का कार्य।	73.50	वार्ड नम्बर-7 में 32.5 केबीए सोलर पावर प्लान्ट लगाये जाने का कार्य	99.45
2	टारो 25 टिपर	26.48		

3. वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 15 जनवरी, 2015 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, संतकबीरनगर।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

GO-ANy